फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

श्री नवीन कुमार, पिता–श्री माखन शर्मा, सा0–जमालपुर, पो0–नदौल, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–414/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–310/गो0, दिनांक–18.02.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर जाँचोपरान्त उल्लेख किया गया है कि आवेदक गर्म मिजाज के हैं, उनका स्वभाव विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। साथ ही थानाध्यक्ष, मसौढ़ी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के बिन्दु पर अनुशंसा नहीं किए जाने के आलोक में आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी एवं पुलिस निरीक्षक, मसौढ़ी के अनुशंसा नहीं किए जाने के आलोक में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक हैं। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। साथ ही वर्तमान जाँच के क्रम में आवेदक को तत्काल शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं दिए जाने की अनुशंसा की गयी है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री नवीन कुमार, पिता–श्री माखन शर्मा, सा0–जमालपुर, पो0–नदौल, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।